









## स्वच्छ महाकुम्भ के तहत सहभागिता बढ़ाने के लिए किया सामूहिक भोज

● नवर्ष के उपलक्ष्य में मेला प्राधिकरण ने आयोजित किया स्वच्छता मित्र सामूहिक भोज

● महाकुम्भ नेले के सेवटर 03 और 04 में संपन्न हुआ सामूहिक भोज कार्यक्रम

## प्रिया को बचाएं

यमन में मौत की सजा

यमन में मौत की सजा काट रही केरल की नई नियमित प्रिया को कहानी ने व्यापक बहस और चिंता को जन्म दिया है। यमन के राष्ट्रपति रशद अल-अलीमी द्वारा उसकी मौत की सजा को मजूरी दिए जाने के साथ ही, उसकी रिहाई के लिए समय कम होता जा रहा है। उसकी कहानी कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि खाड़ी और कई अन्य देशों में काम करने वाले कई लोगों के समाने आने वाली एक कठिन परीक्षा है। यह मामला न केवल एक व्यक्ति के भाग्य के बारे में है, बल्कि व्याप, कूटनीति और मानवाधिकारों के बारे में भी गंभीर सवाल उठाता है।

प्रियाकृति नई नियमित प्रिया अस्तरानों में काम करने और अपना करियर बनाने के लिए यमन चली गई। 2015 में, उसने सना में एक वित्तीय खोलने के लिए यमन नारिक तलाल अब्दो महदी के साथ भागीदारी की। यमन के कानूनों के अनुसार व्यवसायों के लिए स्थानीय प्रयोजन की अवश्यकता होती है और महदी ने प्रिया के लिए वह भविष्यत निभाइ। हालांकि, यह पेशेवर रिता एक बुरो से बदल गया। महदी ने वित्तीय के स्वामित्व के दस्तावेजों में देराफ़ेरी की, जाती और मार्फ़ूद तरीकों का इस्तेमाल करके दावा किया कि वह उसका पात है और उसके वित्त पर नियंत्रण कर लिया। उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया और अपने ही घर में शारीरिक यातना और कारावास के अधीन किया गया। 2017 में, अपना पापसांत वापस पाने और उसके चंगुल से बचने के लिए बैताब, प्रिया ने मर्दी को बहेश करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से, अधिक मात्रा के कारण बेहोश करने वाली दावाएं घाटक साबित हुईं, जिससे उसकी मौत हो गई। यमनी न्यायिक प्रणाली ने उसे हत्या का दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। उसकी कहानी के वित्तात्मक अपील करने के प्रयास समाप्त हो गए हैं, यमनी सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति ने उसकी दीनीतों को खालीग बताया है। जबकि, यह परिवर्तन करने के लिए और माझी पाने के लिए अरोपी को महदी के परिवार को रखवान का भुगतान करना होगा।

उसकी रिहाई यमन की जनजातीय व्याप्रणाली से जुड़ी एक जटिल प्रक्रिया पर निर्भर करती है और माझी पाने के लिए अरोपी को महदी के परिवार को रखवान का भुगतान करना होगा। मर्फूद तरीकों की छूट सुनिश्चित करने के लिए यमन के अधिकारियों और जनजातीय नेताओं के साथ उच्च-स्तरीय कूटनीतिक चर्चाएं अवश्यक हैं। इसके अलावा, रखवान के लिए जन साथन जुटाना एक रास्ता हो सकता है। प्रक्रिया में निष्पक्षता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए यमन के कानून और अन्य नारियों वाली एक सार्वजनिक कानूनी दीम को नियुक्त करना महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार पुरों के रूप से वैशिक मंचों पर प्रिया के मामले को उजागर करने से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सकता है और यमन पर उसकी सजा पर पुनर्वर्ती करने का दबाव पड़ सकता है। प्रिया का मामला अपमानजनक परिवर्तियों में पकड़े गए प्रवासियों की दुर्दशा को रेखांकित करता है। उसके कृत्य हालांकि गंभीर थे, लेकिन नूर्मूल नियोजित नहीं थे। बल्कि प्रणालीगत शोषण की पूर्णभूमि के खिलाफ आन्स-संरक्षण से प्रेरित थे। प्रिया को भारत वापस भेजने से उसे बेहतर सुनवाई का मौका मिलेगा। भारत सरकार और नारिक अनुशासन तथा सम्पादन बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उसकी अपना जीवन पिछे से शुरू करने का उचित मौका मिले।

# संसदीय प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता

संसदीय प्रक्रिया में तुरन्त सुधारों की आवश्यकता है ताकि संसद में अनुशासन, गरिमा और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। संसद का बहुत समय बेकार नष्ट हो जाता है।

कल्याणी शंकर  
(लेखिका, वरिष्ठ प्रकार हैं)



## इस सत्र में लोकसभा में कामकाज के 65 घंटे और 15 मिनट बरबाद हुए 2024 में

## सर्वाधिक थे। लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश कार्यस्थगन की अनेक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

## कार्यस्थगन की अनेक मांगो





# **कॉलेजों में जातिगत भेदभाव संवेदनशील मामला इसे योकने के लिए कुछ करेंगे: उच्चतम न्यायालय**

का सञ्चालन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिन्होंने यूजीसी (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में निपक्षकाता को बढ़ावा देने के नियम) 2012 का अनुपालन करते हुए समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। पीठ ने कहा, हम इस संवेदनशील मुद्रे के प्रति समान रूप से सचेत हैं। हम कुछ करेंगे। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रभावी तंत्र और तौर-तरीके तलाशन होंगे कि 2012 के नियम वास्तविक रूप से लागू हों। पीठ ने इस मुद्रे पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी और यूजीसी को सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के बीच इस तरह के भेदभाव की शिकायतों के बारे में छह सप्ताह में डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जाति-आधारित भेदभाव का सामना करने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्र गोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि 2004 से अब तक आईआईटी और अन्य संस्थानों में 50 से अधिक छात्रों (ज्यादातर एससीएसटी वर्ग के) ने इस तरह के भेदभाव का सामना करने के बाद आत्महत्या कर ली। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी के छात्र वेमुला की 17 जनवरी, 2016 जबकि टीएन ट्रीपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज की छात्र तडवी की 22 मई, 2019 को मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि उनके कॉलेज में तीन डॉक्टरों उनसे भेदभाव किया था। पीठ ने कहा कि 2019 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी लेकिन इस मुद्रे पर अब तक कोई ठास सुनवाई नहीं हुई है ताकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, अब से हम इस याचिका को समय-समय पर सूचीबद्ध करेंगे ताकि मामले में कुछ प्रभावी समाधान निकाला जा सके क्योंकि 2019 के बाद से कुछ भी नहीं हुआ है। यूजीसी के वकील ने कहा कि यूजीसी द्वारा गठित एक समिति ने सिफारिश की और आयोग ने जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया उन्होंने कहा कि मसौदा नियमों को जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक माह के लिए वेबसाइट पर डाला जाएगा और उसके बाद इसे अधिसूचित किया जाएगा। पीठ ने इस मामले में देरी होने पर यूजीसी से सवाल किया और कहा कि वह इतने समय तक सोता रहा और नए नियम लेकर नहीं आया। पीठ ने कहा, नए नियमों को अधिसूचित करने के लिए कितना समय चाहिए? आप इसे (कार्य को) एक महीने में करें और इसे रिकॉर्ड पर रखें। पीठ ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी

बंगल सरकार सहकारिता  
चुनाव के दौरान हुए बम  
विस्फोट पर एपोर्ट दाखिल  
करें: उच्च न्यायालय

**लोगों पर आधारित** कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को पूर्वी मेदिनीपुर जिले में एक झटपुट के दौरान हुए कथित बम विस्फोट को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। यह विस्फोट उस दौरान हुआ था जब एक सहकारी संस्था का चुनाव हो रहा था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में, विस्फोट के कारण एक व्यक्ति के घायल होने का दावा करते हुए, पिछले साल आठ दिसंबर को चुनाव के दौरान हुई घटना की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआई) से जांच कराने का अनुरोध किया है। अदालत के पूर्व के निर्देश के बावजूद राज्य के रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को लेकर नाखुशी जताते हुए न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने आदेश दिया कि हलफानामे के रूप में एक रिपोर्ट सात जनवरी को दाखिल की जाए। उसी दिन मामले की फिर से सुनवाई होनी है।

मेडिकल सीट रिक्त नहीं रह सकती, हितधारको  
के साथ बातचीत करे केंद्र: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली । (भाषा) उपर्यात न्यायालय ने थुक्कार को कहा कि मेडिकल पाट्यक्रमों में सीट वित्त नहीं है सकती और राज्यों सहित संबद्ध हितधारकों के साथ केंद्र वो एक बैठक करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस मुद्दे पर नियुक्त एक समिति की सिपाहियों पर भी केंद्र से विचार करने को कहा। न्यायमूर्ति वी आर गवर्ड और न्यायमूर्ति के वी विधानाधन ने मामले वी सुनाईड़ करते हुए कहा, सीट वित्त नहीं है सकती। शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2023 में, मेडिकल पाट्यक्रमों में सुपर स्पेशलिटी सीट वित्त रद्दने के मुद्दे का संज्ञान लिया था। केंद्र ने तब मुद्दे के समाधान के लिए सांख्य सेवा एवं महानिदेशक वी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव लिया था, जिसमें राज्यों और निजी मेडिकल वैलेजों के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों वो शामिल करने वी बत वही गई थी। थुक्कार को, केंद्र के वर्षील ने कहा कि हितधारकों वी समिति गठित वी गई और इसने मुद्दे पर अपनी सिफारिश दी है। उन्होंने कहा कि यह उपर्युक्त होगा कि केंद्र हितधारकों के साथ एक बैठक करे और एक तोर प्रस्ताव के साथ न्यायालय ने आए। इसके बाद, पीड़ ने पैद वो एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जो भी जस्ती हो तीन महीने के अंदर लिया जाए और मामले वी सुनाईड़ अप्रैल के लिए निर्धारित कर दी। अप्रैल 2023 में शीर्ष अदालत ने कहा था कि न्यायालय ने दायर याचिक से यह प्रदर्शित होता है कि, 003 सुपर स्पेशलिटी सीट वित्त पड़ी हुई है क्योंकि इन सीट पर दायित्वा नहीं हो सकता। सुपर स्पेशलिटी पाट्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट विक्रिया थोरों में व्यापक विशेषज्ञता प्राप्ति करना है। न्यायालय ने कहा, एक ओर, जहां विशेषज्ञ विक्रियाकों वी कमी है, वही दूसरी ओर ए महत्वपूर्ण सीटे वित्त पड़ी हुई है।

**ईडी ने मनमाना रखैया अपनाया, हरियाणा  
के पूर्व कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी अवैध**

नई दिल्ली। (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार से लगभग 15 घंटे की पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ को मनमाना और अमानवीय बताया तथा नेता की गिरफ्तारी को अवैध करार देने वाले आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑग्स्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह ईडी अधिकारियों का अमानवीय आचरण है क्योंकि यह मामला किसी आतंकवादी गतिविधि से संबंधित नहीं है, बल्कि कथित अवैध रेत खनन से संबंधित है। पीठ ने कहा, इस तरह के मामले में लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आपने एक व्यक्ति को बयान देने के लिए वस्तुतः मजबूर किया है। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज करते हुए कहा, हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं कि प्रतिवादी की गिरफ्तारी अवैध थी।

उसने कहा कि उच्च न्यायालय के निष्कर्ष केवल यह तय करने के लिए थे कि पंवार की गिरफ्तारी अवैध थी या नहीं। पीठ ने दो दिसंबर को अपने आदेश में कहा, ए निष्कर्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 के तहत लंबित शिकायत के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करें। अदालत ने कहा कि जांच में ईडी का खेत्र चाँकाने वाला है जिसके तहत एक व्यक्ति को बयान देने के लिए वस्तुतः मजबूर किया गया। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला कि पंवार से लगातार 14 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ के दौरान रात्रि भोजन के ब्रेक की ओर इशारा किया। वकील ने कहा कि ईडी ने 2024 के एक परिपत्र में अपने अधिकारियों से पूछताछ के कुछ निश्चित मानक बनाए खेन और यह सुनिश्चित करने को कहा था कि लोगों से देर रात और तड़के पूछताछ न की जाए। उच्च न्यायालय ने 29 सितंबर, 2024 को कहा था कि गिरफ्तारी के आधार के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिक रूप से आरोप अवैध खनन या अवैध रूप से खनन की गई सामग्री की आपूर्ति से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने कहा था, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 21 के तहत अवैध खनन बेशक एक अपराध है लेकिन न तो अवैध खनन और न ही एमएमडीआर अधिनियम को पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के साथ संलग्न अनुसूची में शामिल किया गया है। दूसरे शब्दों में, अवैध खनन पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या, याचिकाकर्ता पर इस आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। पंवार (55) को 20 जुलाई, 2024 को तड़के गुरुग्राम में हिरासत में लिया गया और अंबाला में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में 29 जुलाई, 2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ਸੁਚਾਰਾ ਹਾਰਨਾ ਵੱਡਾ | ਬਹੁਤ ਕੇ ਲੋਗ ਸੀਲਾ

ਮੁਜਾਪਣਾਨਗਰ ਦੰਗਾ

## मंत्री, सपा सांसद व भाजपा नेताओं समेत 19 लोगों पर आरोप तय, सुनवाई 30 जनवरी को

मुजफ्फरनगर। (भाषा) मुजफ्फरनगर की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर दंग मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिकापिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची और डासना वै महंत यति नरसिंहानंद, सपा सांसद हरेंद्र मलिक और भाजपा नेताओं समेत 19 लोगों के खिलाफ आरोपित तय किए हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और कहा कि अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि विशेष सांसद-विधायक अदालत ने न्यायाधीश दवेंद्र सिंह फौजदार ने मामले में 19 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश

की अवज्ञा), 341 (किसी को गलत तरीके से रोकना), 153, 353 (दूधरी पर तैनात लोक सेवक पर हमला या आपाराधिक बल का प्रयोग) के साथ-साथ आपाराधिक कानून संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए। सिंह ने बताया कि अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने जिनके खिलाफ आरोप तय किया है उनमें उपर सरकार के व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल, उपर सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश गणा और अशोक कटारिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विहिप नेता साध्वी प्राची, पूर्व भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह, डासना के महत्व यति नरसिंहनंद, पूर्व भाजपा विधायक अशोक कंसल व उमेश मलिक, सपा सांसद हरेंद्र मलिक और अन्य सहित कई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के एक मामले में आज सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। नीरज सिंह ने आज यहां पीटीआई-भाषा को बताया कि 19 लोगों पर मुकदमा चल रहा है और आरोपियों पर मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित एक मामले में आरोप लगाया गया है। अधियोजन पक्ष के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने नगला मंडोर गांव में एक पंचायत बैठक में भाग लिया और उन्होंने हिंसा भड़काई। आरोप के मुताबिक, उन्होंने 30 अगस्त 2013 को अपने भाषणों के माध्यम से निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया।

स्टेज 3 दिल्ली में बीएस-फोर या पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल-संचालित मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाता है दिल्ली के भारत गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, दृश्यता शून्य हो जाने के कारण 500 से अधिक उड़ानों में देरी हुई, सुबह 8 बजे, दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर 0 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई, जबकि नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर 50 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई। दोनों हवाई अड्डों का उपयोग वाणिज्यिक उड़ान संचालन के लिए नहीं किया जाता है। घने कोहरे की स्थिति के कारण, दिल्ली हवाई अड्डे ने एक सलाह जारी की जिसमें कहा गया कि गैर-कैट थ्री अनुपालन वाली उड़ानें प्रभावित होंगी किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए, सोशल मीडिया जानकारी का सहाया लें।

## मोदी का...

लोग एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी (ये कटूर भ्रष्ट लोग, वे चोरी करते हैं और फिर बेशर्मी से अपना बचाव करते हैं)। दिल्ली के लोग कह रहे हैं, आपदा की नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे (दिल्ली के लोग कह रहे हैं) वे इस आपदा को बर्दाशत नहीं करेंगे, लेकिन बदलाव लाएंगे। उन्होंने आप पर शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया मोदी के इस आरोप पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए 'आपदा' है, केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने दिल्ली में कोई विकास कार्य नहीं किया है, अन्यथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 39 मिनट खर्च नहीं करना पड़ता। उनके 43 मिनट के भाषण में राजधानी के लोगों और उनके द्वारा सबसे बड़े जनादेश के साथ चुनी गई सरकार को कोसा गया। पीएम मोदी ने आज 43 मिनट का भाषण दिया, करीब 39 मिनट तक उन्होंने दिल्ली की जनता और चुनी हुई सरकार को गालियां दीं। अगर मोदी सरकार ने दस साल में काम किया होता तो उन्हें दिल्ली के लोगों को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा, बीजेपी को तीन कॉलेजों की आधारशिला रखने में उतना ही समय लगा जितना आप को 22,000 कक्षाएं, तीन नए विश्वविद्यालय, छह विश्वविद्यालय परिसर और 11 नए व्यावसायिक कॉलेज बनाने में लगा उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी दिल्ली के लोगों और उनके द्वारा चुनी गई बहुमत वाली सरकार को गाली दे रहे हैं। आप प्रमुख ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार ने 2014 के बाद से केंद्र में दस साल तक सत्ता में रहते हुए अच्छा प्रदर्शन किया होता तो पीएम मोदी को उन्हें गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती।'

सत्ता में आने के लिए 'अबा हजारे को अपने चेहरे के रूप में इस्तेमाल करने वाली' आप पर परोक्ष हमला करते हुए, पीएम मोदी ने पार्टी पर दिल्ली के लोगों के लिए 'आपदा' बनने का आरोप लगाया, और मतदाताओं से खुद को 'मुक्त' करने के लिए कदम उठाने का अप्रह किया। उन्होंने कहा, 'अगर राजधानी में राजमार्ग बनाए जा रहे हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) गरीबों के लिए घर बनाने में सक्षम है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इन क्षेत्रों में 'आपदा' की ज्यादा भूमिका नहीं है।' उन्होंने कहा कि 2025 भारत के लिए कई नई संभावनाएं लेकर आएगा, उन्होंने कहा कि देश दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बन गया है, भारत नए साल में एक बड़ा विनियोग केंद्र बन जाएगा जिसमें कृषि क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बनेंगे उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को भी पंजीकृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 में भारत की वैश्विक स्थिति और छवि भी मजबूत होंगी। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल को संभालते हुए कहा कि यह दिल्ली के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा, आज दिल्ली के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। अशोक विहार में एक कार्यक्रम में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास में जोरदार प्रदर्शन

**संभलः** अपने परिवार के सदस्यों के हाथों मारी गई महिला व उसकी चार बेटियों के शव दफनाए गए

भाषा। संभव

लखनऊमें अपने ही परिवार के एक सदस्य के हाथों मारे गए पांच लोगों के शवों को शुक्रवार को संभल में दफना दिया गया। मृतकों के शव शुक्रवार की सुबह संभल लाए गए। एक साथ पांच शवों को देखकर परिवार में गम का माहौल है सरकार से हत्या के मुख्य आरोपी अरशद और उसके पिता को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। लखनऊमें मारी गई पांच महिलाओं के शवों को संभल ले जाने के बारे में पूछे जाने पर एक अधिकारी ने बताया कि चूंकि आरोपी की मां अस्मा का मायका संभल के सरायतरीन मोहल्ले में है, इसलिए मां और बेटियों के शवों को उसके मामा को सौंपा गया और उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई मूर्त्रों ने बताया कि आरोपी के पिता के परिजनों ने शवों को लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए ननिहाल पक्ष के लोगों को इसे सौंपा गया पुलिस के अनुसार, आगरा के 24 वर्षीय एक युवक ने जमीन संबंधी विवाद में अपने समुदाय के लोगों द्वारा उत्पीड़न किए जाने से परेशान होकर एक जनवरी की सुबह यहां एक होटल में अपनी चार बहनों और मां की हत्या कर दी थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि आरोपी मोहम्मद अरशद को दिल दहलाने वाली इस घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यह शरनजीत में हुई। पुलिस उपायुक्त (मध्य लखनऊ) रवीना त्यागी के मुताबिक, आरोपी की पहचान अरशद (24) के रूप में हुई जिसने अपने ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने उसे घटनास्थल से ही पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान आलिया (9), अलशिया (19), अक्सा (16), रहमीन (18)- सभी अरशद की बहनें और अस्मा (आरोपी युवक की मां) के रूप में हुई हैं। त्यागी ने बताया था कि 24 वर्षीय अरशद आगरा का रहने वाला है और प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि उसने घरेलू विवाद की वजह से यह कदम उठाया। इस बीच शुक्रवार को अस्मा के भाई मोहम्मद जीशान ने बताया, “उस दिन लखनऊ से फोन आया, उसके बाद मैंने अरशद से बात की। अरशद ने कहा कि उसने परिवार को मार दिया है, फिर पुलिस ने उसके हाथ से फोन ले लिया। करीब चार महीने पहले मेरी बहन से बात हुई थी। वह बहुत ही सरल और प्यारी थी। अब, मैं बस यही चाहता हूं कि अरशद को सख्त से सख्त सजा मिले, उसे फासी हो और जल्द ही उसके पिता को भी गिरफ्तार किया जाए।” इस चौंकाने वाली घटना के सामने आने के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो सामने आया, जिसमें अरशद ने अपनी बहनों और मां की कलाई की। उसने दावा किया कि उसने अपने इलाके के निवासियों द्वारा उत्पीड़न किए जाने से परेशान होकर यह कदम उठाया। अरशद ने कहा था, “मैं और मेरा पूरा परिवार असहाय और हताश होकर यह कदम उठाने को मजबूर हूं... मैंने अपनी बहनों और मां को मार डाला है। जब पुलिस को यह वीडियो मिले, तो मैं अनुरोध करता हूं कि वह इसके लिए इलाके के लोगों को जिम्मेदार ठहराए।” उसने आरोप लगाया था कि उसके इलाके के लोगों ने उसका घर छीनने के लिए उसके परिवार के सदस्यों पर अकल्पनीय अत्याचार किए हैं। उसने कहा कि आवाज उठाने के बावजूद किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, “अब 10 दिन हो गए हैं और हमें फुटपाथ पर सोने और ठंडे में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया है, जबकि हमारे पास संपत्ति के कानूनी कागजात हैं। हम इसे मंदिर को समर्पित करना चाहते थे और अपना धर्म बदलना चाहते थे, लेकिन हमसे सब कुछ छीन लिया गया।” अरशद ने वीडियो क्लिप में पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की थी।

पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को अरशद को न्यायिक हिरण्यसत में भेज दिया गया और उसके पिता को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

**अल्लू अर्जुन को भगदड़ मामले में मिली नियमित  
जमानत, अदालत की अनुमति बिना विदेश जाने पर एक**

जी के लोगों के लिए 'ईज को बढ़ावा देगा'। पीएम गोकुल विहार इलाके के अट्टमेंट में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों अभियर्थियों को चाचियां विहार में रेली की योजना प्रधानमंत्री रविवार को रीजनल रैपिड ट्रॉंजिट सिस्टम (आरआरटी-एस) कॉरिडोर की धारा 4 का उद्घाटन करेंगे जो साहिबाबाद को न्यू अशोक नगर से जोड़ता है। वर्तमान में, आरआरटी-एस का 42 किमी कार्यात्मक हिस्सा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में स्थित है। कीटनाशक मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) बनाने के लिए किया जाता है और यह बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है।

## ड्राप्ट डेटा...

चाहिए। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा

से वजीरपुर, मॉडल टाउन बाग जैसे इलाकों में केवल बीच आप के गढ़ को लिए बनाई गई है। चांदनी चौक का हिस्सा, इन इलाकों में जग्जापा का गढ़ होने के बावजूद यहाँ देखा गया है। अनुमान की द्विगिरियों में लगभग 20 हेक्टेएक्ट हैं। हालांकि वे पारंपरिक समर्थक थे, खासकर पूर्व दीक्षित के कार्यकाल के संस्करण अधिनियम, 2023 को 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था। मसौदा नियम, एक बार अंतिम रूप दिए जाने और अधिसूचित होने के बाद, लागू होंगे। केंद्र ने जनता के लिए मसौदा नियमों पर टिप्पणी करने और अपनी प्रतिक्रिया भेजने के लिए 18 फरवरी, 2025 की समय सीमा निर्धारित की है।

## बाइडन ...

का चांदी का कट्टेरा, इंजराइल के राष्ट्रपति से 3,160 अमेरिकी डॉलर की चांदी की ट्रैट्रे और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से 2,400 अमेरिकी डॉलर का कोलाज शामिल हैं। संघीय कानून के अनुसार कार्यकारी शाखा के अधिकारियों को विदशी नेताओं और समकक्षों से प्राप्त उन उपहारों की घोषणा करनी होती है, जिनकी अनुमानित कीमत 480 अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

## बिकवाली ...

है। नायर ने कहा कि आने वाले समय

ने 2013 और 2015 के बावें के दौसुन उन पर जीत

गोक विहार के बाद पीएम रैली 5 जनवरी को रोहिणी में होगी। इस कार्यक्रम में आंदोलन की लंबे समय से चली गई संबोधित करते हुए रिटाला त्रों से जोड़ने वाली मेट्रो आधारशिला रखी जाएगी। त्रों में समर्थन मजबूत करने जहां आप ने पिछले चुनावों नि किया है। उमीद है कि नहीं किया गया तो वह अवमानना की कार्यावाही शुरू करेगा इस बीच, कानून और व्यवस्था बनाए रखें के लिए पीथमपुर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को संदेह करने वालों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कचरे में 60 प्रतिशत मिट्टी और 40 प्रतिशत नेपथ्यल शामिल है जिसका उपयोग दूसरी तिमाही की तुलना में आंकड़े बेहतर होंगे। मझोली कपनियों के बीएसई मिडकैप सूचकांक में 0.33 प्रतिशत गिरावट आई जबकि छोटी कंपनियों के बीएसई स्मालकैप सूचकांक में 0.02 प्रतिशत की सुस्ती रही। क्षेत्रवार सूचकांकों में आईटी खंड में 1.31 प्रतिशत की गिरावट रही जबकि प्रौद्योगिकी खंड में 1.13 प्रतिशत एवं बैंक खंड में 1.07 प्रतिशत की नरमी आई।





